

# डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ० 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम - हिण्डौन सिटी जिला करौली  
इजलास अनूपसिंह, R.A.S.

## उनवान

रतनलाल पुत्र रेवडया जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली  
राजस्थान वादी

## बनाम

1. रूपसिंह पुत्र गिराज
2. मोहरसिंह पुत्र गिराज
3. मु० मोहरबाई बेबा मनोहरी
4. दिलीप | पिसरान मनोहरी
5. गोविन्द
6. नीरज
7. शिवकुमार | पिसरान रमन
8. कमलेश
9. अशोक
10. मु० मिश्री बेबा रमन
11. शांति कुमार पुत्र घम्मन
12. बतास्या | पिसरान रामधन
13. मुंशी
14. रमसी
15. उदयसिंह | पिसरान राजपाल
16. भंवर
17. रामू | पिसरान पिल्लू
18. बाबू
19. मु० सुगनी बेबा पिल्लू
20. रामचरन | पिसरान जिन्सी जाति मीना निवासी अमरावदबुजुर्ग
21. रूपसिंह | पोस्ट दूदिया, इन्दौर मध्य प्रदेश
22. रामनिवास
23. सोहनसिंह | पिसरान हरभजन
24. कैलाश
25. रामहरी
26. देवीसिंह
27. घनश्याम
28. मु० पतोल
29. सुरज्ञान | पिसरान नारायण
30. आजाद

सभी जातियान मीना निवासीयान झारेडा

तहसील हिण्डौन जिला करौली

जाति मीना निवासी झारेडा

तहसील हिण्डौन



31.	राकेश कुमार	पिसरान मुरारी	जाति मीना निवासी झारेडा
32.	मुनेश कुमार		
33.	नाहरसिंह	पिसरान गिरधारी	तहसील हिण्डौन
34.	प्यारसिंह		
35.	मुरारी पुत्र सोहनसिंह		
36.	मु० सुगनबाई बेबा रामस्वरूप -मृतक		
36/1.	मु० मोहरबाई पुत्री सुगनबाई पत्नि रामश्री	जाति मीना निवासी फुलवाडा - खण्डीप तहसील बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर	
36/2.	मु० गिलासी पुत्री सुगनबाई पत्नि किशोर	जाति मीना निवासी ठेकडा तहसील महवा जिला दौसा	
37.	जयसिंह पुत्र रणजीता		जाति मीना निवासी झारेडा
38.	मोहनसिंह	पिसरान हरीमन	
39.	बीरबल		
40.	दिनेश		
41.	मु० खिलौन		तहसील हिण्डौन
42.	मु० मलकेबाई		
43.	मु० फूलवती		
44.	मु० हरप्यारी		जिला करौली
45.	मनमोहन पुत्र हट्टी		
46.	तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली		----- प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक,

मुकदमा नं० 88/2015

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरू ..... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1755 रकबा 0.24 है०, 1754 रकबा 0.38 है०, 1753 रकबा 0.28 है०, 1945 रकबा 0.15 है०, 1949 रकबा 0.10 है०, 1748 रकबा 0.21 है०, 1749 रकबा 0.16 है०, 1951 रकबा 0.08 है०, 1912 रकबा 0.10 है०, 1582 रकबा 0.12 है०, 1583 रकबा 0.07 है०, 1962 रकबा 0.12 है०, कुल कित्ता 12 कुल रकबा 2.01 है० वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन का वादी रतनलाल पुत्र रेवडया जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ किये जाते हैं। उक्त विवादित आराजीयात पर वादी के



हिस्से पर कोई रहन मुर्तहिन का इन्द्राज दर्ज नहीं किया जावेगा तथा उक्त खसरा नम्बरों में जिन खातेदारों का रहन मुर्तहन का इन्द्राज है व उनके अन्य खसरा नम्बरों पर यथावत रहेगा तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादी सं० 1 लगायत 45 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1755 रकबा 0.24 है०, 1754 रकबा 0.38 है०, 1753 रकबा 0.28 है०, 1945 रकबा 0.15 है०, 1949 रकबा 0.10 है०, 1748 रकबा 0.21 है०, 1749 रकबा 0.16 है०, 1951 रकबा 0.08 है०, 1912 रकबा 0.10 है०, 1582 रकबा 0.12 है०, 1583 रकबा 0.07 है०, 1962 रकबा 0.12 है०, कुल कित्ता 12 कुल रकबा 2.01 है० वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे वादी के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28-6-22  
को यह डिक्री जारी की गई।

( अनूपसिंह )  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन जिला करौली